15

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

[‘आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)’ विषय पर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

पंद्रहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

Coverpage/UD/Rajnish

पंद्रहवां प्रतिवेदन

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

[‘आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)’ विषय पर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

04.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

04.08.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

सी.एच.यू.ए. संख्या - 131

मूल्यः .....रुपये

© 2019 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 382 (तेरहवां संस्करण) के अंतर्गत प्रकाशित और ..... द्वारा मुद्रित।

Coverpage/UD/Rajnish

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय- एक	प्रतिवेदन	
अध्याय- दो	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय- तीन	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	
अध्याय-चार	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय- पांच	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	

परिशिष्ट

एक.	समिति की 02.08.2022 को हुई 16वा बैठक का कार्यवाही सारांश ।
दो.	बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की संरचना

श्री जगदम्बिका पाल - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
3. श्री बैन्नी बेहनन
4. श्री रामचरण बोहरा
5. श्री हिबी ईडन
6. श्री गौतम गंभीर
7. श्रीमती हेमामालिनी
8. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील
9. श्री संजय कुमार बंदी
10. श्री शंकर लालवानी
11. श्री हसनैन मसूदी
12. श्री पी मोहन .सी .
13. श्री सी पाटिल .आर .
14. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी
15. श्री एस. रामलिंगम
16. श्रीमती अपराजिता सारंगी
17. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
18. श्री राहुल रमेश शेवाले
19. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
20. श्री सुनील कुमार सोनी
21. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

राज्य सभा

22. श्री सुभाशीष चक्रबर्ती
23. श्री रामचन्द्र जांगड़ा
24. श्री कुमार केतकर
25. श्री संजय सिंह
26. जेबी माथेर हीशम
27. रिक्त
28. रिक्त
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती अर्चना पठानिया	-	निदेशक
3.	सुश्री स्वाति परवल	-	उप सचिव
4.	सुश्री जिशा जेम्स	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किए जाने पर 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह पंद्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. बारहवां प्रतिवेदन 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर 24 जून, 2022 को प्राप्त हुए।

3. समिति ने ०२ अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो में दिया गया है।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **जगदम्बिका पाल**
अगस्त, 2022 **सभापति**
श्रावण, 1944(शक) **आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति**

Coverpage/UD/Rajnish

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का यह प्रतिवेदन अनुदानों की मांगों (2022-23) विषय पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

1.2 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और इनका निम्न रूप से श्रेणीकरण किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश क्रम सं. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, और 16,
(कुल 11)
(अध्याय-दो)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
सिफारिश क्रम सं. (कुल शून्य)
(अध्याय-तीन)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है
सिफारिश क्रम सं. 1, 4, 10, 11 और 15 (कुल 05)
(अध्याय-चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
सिफारिश क्रम सं. (कुल शून्य)
(अध्याय-पाँच)

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में निहित टिप्पणियों के उत्तर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाएँ।

1.4 समिति अब अपनी कुछेक सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उत्तरों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में विचार करेगी ।

सिफारिश (क्र. सं. 1)

<u>मिशन/योजना अवधि के माध्यम से एकसमान आबंटन और निधियों के उपयोग की आवश्यकता</u>

1.5 समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि संशोधित अनुमानों की तुलना में आबंटित संसाधनों का मंत्रालय द्वारा उपयोग 2016-17 की तुलना में 94% अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, 07.02.22 तक उपयोग 67.07% था और मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार समिति को उम्मीद है कि इस वर्ष में भी उपयोग का स्तर पहले के वर्षों के प्रदर्शन के अनुरूप होगा। समिति ने इस प्रकार के उच्च स्तर के उपयोग की सराहना करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे ताकि सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में सं.अ. चरण में अपने आवंटन को कम कर दिया था, इस बात की सराहना करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सं.अ. चरण में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। इस तरह के बढ़े हुए आवंटन शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छे संकेत देते हैं जिनकी आबादी 2011 के 37.71 करोड़ से 2031 तक 60 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और आगे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनने की उम्मीद है। समिति आगे, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों से, नोट करती है कि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान (सं.अ.) में 19,269.26 करोड़ रुपये की यह उछाल मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये, पीएमएसवीएनिधि के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये और केंद्रीय विस्टा परियोजनाओं/नई संसद भवन सहित सीपीडब्ल्यूडी के जीपीआरए/जीओपीओए के लिए 169.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

समिति यह स्वीकार करती है कि चूंकि यह पीएमएवाई (यू) का अंतिम वर्ष है, इसलिए योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की मांग की गई थी। तथापि, समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से नोट किया कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, उन्हें दिए गए 28,000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है और वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान लगभग 82,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय वर्तमान में केवल 28,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए सहमत हुआ है और आश्वासन दिया है कि शेष निधियों को बाद के वर्षों में धीरे-धीरे आवंटित किया

जाएगा। समिति का मत है कि यदि मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तेजी से कार्य करने और योजना से संबंधित संभारतंत्रीय और तकनीकी मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए प्रेरित करके आरंभ में और अधिक निधियों की मांग की होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने पिछले अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, जिसमें यह प्रवृत्ति रही है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के अंतिम और समापन वर्षों में अत्यधिक मात्रा में निधियों की मांग की जाए जैसा कि पीएमएवाई (यू) के मामले में देखा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि किसी विशेष योजना में वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को योजना के आरंभ वर्ष की शुरुआत से ही पूरा किया जाए और इस प्रकार योजना/मिशन अवधि के दौरान निधियों के आबंटनों को समान रूप से वितरित किया जाए।

1.6 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

" शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के लिए आवासों की मांग स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। पीएमएवाई–यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आकलित मांग और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से परियोजना प्रस्ताव तैयार किए। योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की मांग कम थी क्योंकि स्वीकृत परियोजनाओं में केवल पहली किस्त जारी की गई थी। हालांकि, बाद की अवधि के दौरान, नई परियोजनाओं की मंजूरी के साथ योजना के तहत निधि की आवश्यकता काफी बढ़ गई क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए निधि के साथ-साथ पिछली परियोजनाओं के लिए शेष किस्त का दावा करना शुरू कर दिया। पिछले दो वर्षों में, सभी स्तरों पर निरंतर उपाय और प्रयास किए गए हैं ताकि कोविड़-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद आवासों का निर्माण समय पर शुरू और पूरा किया जा सके। मार्च 2019 तक, मिशन के तहत लगभग 60.79 लाख आवासों को मंजूरी दी गई थी; इनमें से अधिकांश आवास अब पूरे होने के करीब हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, 41.52 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए। देश भर में निर्माण की तीव्र गति के साथ, मिशन ने 1 करोड़ से अधिक आवासों की ग्राउंडिंग पूरी कर ली है जो अपने आप में एक उपलब्धि है। तदनुसार, मिशन ने योजना के बाद के वर्षों के दौरान बढ़ी हुई मांग का अनुमान लगाया लेकिन पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में मानक वृद्धि के साथ बजटीय आवंटन प्राप्त करना जारी रखा। हालांकि, वित्त वर्ष 2017-18 में, चार साल की अवधि में अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के रूप में ₹ 60,000.00 करोड़ जुटाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की गई थी।

इसलिए, संचित योजना के लिए निधि के आवंटन में कमी और योजना अवधि अर्थात 31.03.2022 तक स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर, जारी करने के लिए शेष प्रतिबद्ध देयता ₹ 85,406.00 करोड़ है। वित्त वर्ष 2022-23 में, योजना के लिए बीई स्तर पर ₹28,000.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत प्राप्त प्रगति के आधार पर आरई चरण के साथ-साथ पूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रक्षेपण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनराशि के कुल आबंटन और केंद्रीय सहायता के लिए शेष देयता के आधार पर किया जाएगा।

मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरा करने और योजना की प्रगति की लगातार निगरानी करने के लिए योजना की शुरुआत के बाद से भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहमत करवाया ताकि समय पर धनराशि जारी की जा सके और योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है और योजना के सफल समापन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"

1.7 समिति पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निधियों की मांग और उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को मानती है। समिति ने एक मिशन अवधि के दौरान सभी योजनाओं और मिशनों को किए गए निधियों के संवितरण के संबंध में एक सामान्य टिप्पणी की है। समिति की चिंता यह है कि निधियों के आवंटन और उपयोग के मौजूदा पैटर्न से यह संकेत मिलता है कि मिशन के उद्देश्यों को केवल अवधि के अंतिम चरण में या बढ़ाई गई अवधि में प्राप्त किया जाता है, इसलिए सिफारिश दोहराई जाती है।

सिफारिश (क्र. सं. 3)

<u>संबद्ध अवसंरचना और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन</u>

1.8 समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित अपने पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में बजट 2021-22 में घोषित पीपीपी मोड पर संबद्ध अवसंरचना सहित सिटी बस सेवाओं के संवर्धन, जीएचजी उत्सर्जन में कमी और स्थायी गतिशीलता का समर्थन करने हेतु ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए 18,010 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तैयार की गयी एक नई योजना

"एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन" की शुरुआत किए जाने की सराहना करते हुए, यह सिफारिश की थी कि यह महत्वपूर्ण पहल मिशन मोड में लागू की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत चार्जिंग प्वाइंट, सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन आदि जैसी अपेक्षित अवसंरचना का सृजन समय पर किया जाए।

तथापि, समिति इस बात से निराश है कि (क) मिशन मोड के अंतर्गत इस योजना को शुरू करने के सुझाव पर मंत्रालय का उत्तर मौन है; और, (ख) एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति को मंत्रालय के उत्तर से पता चला है कि इस योजना को शुरू करने में विलंब (क) योजना में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ईएफसी की सलाह; और, (ख) विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया/जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों, नगर अधिकारियों, बस विनिर्माताओं और बस प्रचालकों के साथ बैठकें आयोजित करने के कारण हुआ था। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव आवासन और शहरी विकास मंत्रालय (एमओएचयूए) में अनुमोदन के अग्रिम चरण में है और इसे मार्च, 2022 में ही ईएफसी द्वारा मूल्यांकन हेतु व्यय विभाग को प्रस्तुत करने के लिए विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों की सहमति प्राप्त करने और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी, ईएफसी के अनुमोदन के लिए अंतिम प्रस्ताव रखने के लिए एक वर्ष का समय लेना वांछनीय नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) योजना को बिना कोई और देरी के मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है और ईएफसी से आवश्यक अनुमोदन और अधिक समय गंवाए बिना लिया जा सकता है, और

(दो) समिति को योजना की यथानुमोदित रूपरेखा और योजना के कार्यान्वयन की अंतिम स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है।

1.9 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"प्रस्तावित योजना पहले मार्च 2021 के महीने में तैयार की गई थी और ईएफसी ज्ञापन को सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन के लिए व्यय विभाग को भेजा गया था। योजना का मूल्यांकन 22.4.2021 को किया गया था और ईएफसी द्वारा एक संरचनात्मक परिवर्तन की

सलाह दी गई थी। इसके बाद, मंत्रालय में राज्य सरकारों, शहरों, बस निर्माताओं और बस ऑपरेटरों के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की एक श्रृंखला में प्राप्त जानकारी के आधार पर, संशोधित प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए साझा किया गया था। अंतिम ईएफसी ज्ञापन वित्त मंत्रालय को 16.3.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर ईएफसी द्वारा दिनांक 13.4.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था। ईएफसी बैठक के दौरान योजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की गई। मसौदा मंत्रिमंडल नोट अब वित्त मंत्रालय को उनकी मंजूरी के लिए 17.5.2022 को भेजा गया है।"

1.10 समिति चाहती है कि उसे योजना के अंतिम रूप दिए गए तौर-तरीकों और योजना के कार्यान्वयन की अंतिम स्थिति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश (क्र. सं. 4)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति</u>

1.11 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

समिति नोट करती है कि 2015 में शुरू की गई इस योजना के अधीन, 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ, 1.15 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई थी, लगभग 94 लाख घरों का निर्माण शुरू किया गया है और लगभग 55 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के प्रारंभ होने के बाद से सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, लक्षित घरों में से केवल 50% (लगभग) का निर्माण पूरा किया गया है। समिति ने आगे यह भी नोट किया है कि भले ही सभी स्वीकृत घरों के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2022 के बाद किसी भी नए आवास को मंजूरी नहीं दी जाएगी या नए डीपीआर पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति को राज्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह भी जानकारी दी गयी कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिग्रहित नहीं की गई है। इसके अलावा, समिति ने यह भी नोट किया है कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित कई घर रहने योग्य स्थिति में नहीं हैं, जिनमें खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए हैं। समिति का विचार है कि आवासों की ऐसी स्थिति पूर्ण हो चुके मकानों को लक्षित लाभाथयों को सौंपने में विलंब के कारण भी हो सकती है। समिति सचिव,

एमओएचयूए के इस कथन से सहमत होते हुए कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता' मंत्रालय की जिम्मेदारी है, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, भूमि का अधिग्रहण करें और विभिन्न तकनीकी और संभारतंत्रीय कठिनाइयों को दूर करें और 31 मार्च, 2022 से पहले पोर्टल पर आवश्यक प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करें;

(दो) मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीयता और उनमें निवास करने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाता है और पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित सभी घरों में लिफ्ट का प्रावधान सुनिश्चित करें।

(तीन) समयबद्ध तरीके से लाभाथयों को पूर्ण किए गए आवासों को सौंपना सुनिश्चित करना।

1.12 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"पीएमएवाई–यू एक मांग आधारित योजना है। शहरी क्षेत्रों में आवास आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परियोजना प्रस्ताव तैयार किए और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के साथ, इन प्रस्तावों को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) को स्वीकार्य केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। आवासों के निर्माण के लिए लाभार्थियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किश्तों में राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय सहायता हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सामान्यत: 12-36 महीने की अवधि होती है। 31.03.2022 तक, 122.69 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 21.59 लाख आवासों को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, कोविड़-19 महामारी के कारण, राज्य के साथ-साथ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा, जिससे योजना की प्रगति प्रभावित हुई और इसलिए, हितधारकों के वित्तीय बोझ को कम करने और योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने 31.03.2022 तक स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने और परियोजनाओं में प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए दो साल के समय विस्तार की मांग की है।

इस योजना के तहत अब तक 100 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 60.15 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। समिति की सिफारिशों के संबंध में टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

क. पीएमएवाई–यू के तहत, 122.69 लाख स्वीकृत आवासों में से, 73.76 लाख आवासों को लाभार्थी उन्मुख निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत स्वीकृत किया गया है, जहां लाभार्थी अपनी जमीन पर आवास बनाते हैं। इसके अलावा, 23.97 लाख आवासों और 4.33 लाख आवासों को क्रमशः ऋण संबद्ध सहायता योजना (सीएलएसएस) और स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटकों के तहत स्वीकृत किया गया है जहां भूमि की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। चूंकि शहरी क्षेत्रों में भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, कुछ राज्यों को साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत कुछ परियोजनाओं के लिए भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में मुश्किल हो रही है, जिसके तहत 20.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही परामर्श दिया जा चुका है कि वे किफायती आवास के लिए भूमि निर्धारित करने या एएचपी के तहत स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए अपने मास्टर प्लान को तैयार/संशोधित करें। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वे पात्र लाभार्थियों को खुले बाजार से खरीदकर या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा आदि जैसे कुछ राज्यों द्वारा लागू उपाय के अंतर्गत भूमि पट्टा प्रदान करके भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करें।

ख. योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) को कार्य सौंपा है जो परियोजना स्थलों का दौरा करती है और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर उन्हें सलाह/रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसियां मानक गुणवत्ता वाले आवासों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करती हैं। टीपीक्यूएमए की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को भी अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य के एसएलएसएमसी के समक्ष रखा गया है। योजना के तहत निर्मित आवास राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) या स्थानीय उपनियमों में दिए गए मानकों के अनुसार हैं।

ग. सभी स्वीकृत आवासों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और उन्हें समय सीमा के अनुसार आवासों के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़ी समय सीमा के अनुसार आवासों का निर्माण और पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है:

i. 30.06.2021 तक स्वीकृत आवास - 30.06.2022 तक निर्माण कार्य का आरंभ

ii. 30.06.2021 के बाद स्वीकृत आवास - 31.12.2022 तक निर्माण कार्य का आरंभ

घ. चूंकि पीएमएवाई-यू की प्रगति की निगरानी एक सशक्त एमआईएस प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी लंबित एमआईएस मुद्दों को तुरंत हल करने का अनुरोध किया गया है।

ङ. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके बकाया मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न मंचों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रगति की आवधिक समीक्षा की जा रही है। उन्हें सभी पूर्ण आवासों को चिन्हित लाभार्थी को तत्काल आवंटित करने के लिए भी सहमत कर लिया गया है।

इसके अलावा, इस संबंध में टिप्पणियों के संदर्भ **में कि निर्मित कई आवासों की खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है,** यह सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की पूर्ववर्ती योजना के तहत निर्मित 96,511 आवास लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं और उनमें से कुछ की हालत खराब है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मरम्मत/रिट्रोफिटिंग द्वारा रहने योग्य बनाएं और पात्र लाभार्थियों को आवंटित करें या शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के उद्देश्यों के लिए उन्हें किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) में परिवर्तित करें।"

1.13 समिति ने मंत्रालय के उत्तर से पाया कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत मकानों की ग्राउंडिंग के लिए कड़ी समय सीमा दी गई है। समिति यह नोट कर निराश है कि हालांकि; मकानों की ग्राउंडिंग के लिए कड़ी समय सीमा निर्धारित की गई है परंतु मकानों को पूरा करने के लिए

कोई समय सीमा नहीं दी गई है। समिति महसूस करती है कि स्वीकृत मकानों के संबंध में ग्राउंडिंग का प्रतिशत वास्तविक कार्यपूर्णता प्रतिशत से बहुत बेहतर है, अत: मंत्रालय के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह ग्राउंडेड आवासों को पूरा करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करे।

अंत में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत निर्मित 96,511 आवासों, जो लंबे समय से खाली पड़े हैं और जिसकी बजह से वे खराब स्थिति में हैं, के संबंध में समिति अपनी सिफारिश दोहराती हैं कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे इन आवासों और पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत बनाए गए आवासों को शीघ्रताशीघ्र लाभार्थियों को सौंपे और समिति को अद्यतन जानकारी से अवगत कराएं।

सिफारिश (क्र. सं. 10)

<u>एसबीएम के लिए क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता/भागीदारी सहायतानुदान सामान्य</u>

1.14 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियां राज्यों को एसबीएम-यू के संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (सीबी एंड ए एंड ओई) के लिए गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए जारी की जाती है ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंनिधि मूल्य श्रृंखला में प्रमुख हितधारक और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में विभिन्न स्तरों पर प्रमुख पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक वयय को पूरा करने की दिशा में है।

समिति आगे यह भी नोट करती हैं कि केंद्रीय शेयर सहायता जारी करना योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सभी तरह से पूर्ण औपचारिक मांग की प्राप्ति के अधीन है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत की गई कोई भी रिलीज केवल मंत्रालय द्वारा विधिवत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के अधीन है और कोविड -19 महामारी के कारण, राज्यों से पर्याप्त मांग प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2018-19 को छोड़कर, 2017-18 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, अवास्तविक बजट अनुमानों को संसाधनों के अविवेकपूर्ण आवंटन का संकेत देते हुए रखा गया है और यह कि कोविड-19 जो एक हालिया घटना है, को एकमात्र निवारक के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के

दौरान भी, जिसके अंतर्गत बीई स्तर पर इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित 150 करोड़ को सं.अ. चरण पर घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया था, केवल 8.93 करोड़ ही जारी किए जा सका।

समिति ने गत वर्षों के वास्तविक बजट की तुलना में अविवेकपूर्ण बजटीय आवंटन पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक सं.अ. चरण पर निर्धारित निधि के पूरे उपयोग के लिए मंत्रालय की सराहना करती है। हालांकि, समिति को आशंका है कि चालू वित्त वर्ष (31.12.21 तक) में सं.अ. चरण के आवंटन के मात्र 9% उपयोग के परिणामस्वरूप सं.अ. चरण पर आवंटन की पर्याप्त राशि का अभ्यर्पण हो सकता है। इसलिए, समिति तीसरे तिमाही तक, इस तरह के कम उपयोग के कारणों और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में निधि के अभ्यर्पण से बचने के लिए उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती हैं।

1.15 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"क्षमता निर्माण निधियों का कम उपयोग मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है (सीबी)कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निधि मांग प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बिना केंद्रीय शेयर (सीएस) परिणामस्वरूप आरई चरण में आवंटित पर्याप्त राशि को लौटाया निधि जारी नहीं की जा सकती थी जिसके गया।"

1.16 समिति मानती है कि यह 'मांग संचालित' शीर्ष है, लेकिन वह यह समझने में विफल है कि इस शीर्ष के अंतर्गत उपयोग पैटर्न पर विचार किए बिना उच्च आवंटन क्यों किया गया है। समिति का विचार है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसबीएम (यू) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच 'क्षमता निर्माण' के लिए निधियों की मांग की जाए और यदि मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से पर्याप्त निधियों की मांग प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो बजटीय आवंटन के पहले स्तर पर ही यथार्थवादी आबंटन करना अधिक विवेकपूर्ण होगा।

सिफारिश (क्र. सं. 11)

<u>एसबीएम के लिए आईईसी- विज्ञापन और प्रचार</u>

1.17 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

समिति नोट करती है कि यह शीर्ष मिशन के विज्ञापन और प्रचार के लिए है। विज्ञापन और जन प्रचार अभियान प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया (डीएवीपी के माध्यम से) और सोशल मीडिया (अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से) में चलाए जाते हैं। मिशन ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से एक साल का प्रचार अभियान 'स्वच्छता सेल्फी' भी चलाया था इसके अलावा, प्रचार के लिए एनएफडीसी के माध्यम से ऑडियो-वीडियो क्लिप भी तैयार की जाती हैं। समिति मानती है कि स्वच्छ भारत मिशन को न केवल शौचालय निर्माण जैसे उत्पादन आऊटपुट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था, बल्कि "खुले में शौच मुक्त" सहित व्यवहारिक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत अपेक्षित बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार एक महत्वपूर्ण कारक है।

तथापि, समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 तक के आवंटन और व्यय की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सं.अ. चरण में भी किए गए आवंटन से 'वास्तविक बहुत कम हो गया और निधियों के काफी कम उपयोग के बावजूद, पिछले वर्षों की उच्च और अवास्तविक राशि का आवंटन बाद के वर्षों के बजट अनुमान में किया गया था, जिसमें निधि के व्यय या उपयोग पर कोई जोर नहीं दिया गया था। समिति का यह मत है कि केवल शहरों को ओडीएफ या ओडीएफ+ घोषित करना ही काफी नहीं है। बल्कि वर्षों से उस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और मंत्रालय द्वारा गार्ड को किसी भी तरह से कम करने से देश को मिशन-पूर्व अवधि में वापस धकेल दिया जा सकता है, जिसके लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति सुझाव देती है कि वास्तविक बजटीय आवंटन किया जाए और आवंटित संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

1.18 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

" सूचना शिक्षा संचार और जन जागरूकता निधियों (एंड पीए आईईसी) का कम उपयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से निधि मांग प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण है, जिसके बिना केंद्रीय शेयर

निधि जारी नहीं की जा सकती थी जिसके परिणामस्वरूप आरई चरण में आवंटित पर्याप्त राशि (सीएस) को लौटाया गया।"

1.19 समिति मंत्रालय के बार-बार उद्धृत उत्तर कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के विभिन्न लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से निधि मांगने के प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ है से पूरी तरह से सहमत नहीं है। ,समिति का विचार है कि विज्ञापन और प्रचार ही वे मुख्य साधन हैंजिनके द्वारा लोगों में एसबीएम के अंतर्गत आवश्यक , व्यवहार परिवर्तन लाया जा सकता है।समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव नहीं होने के बावजूद भी इस शीर्ष के अंतर्गत उच्च धनराशि आबंटित कर रहा है। इसलिए, समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस निधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि इस शीर्ष और वास्तविक बजटीय आबंटनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

सिफारिश (क्र. सं. 15)

<u>तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी</u>

1.20 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

समिति नोट करती है कि एमओएचयूए के अंतर्गत लगभग सभी योजनाओं में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण और निगरानी एक घटक है। इस संदर्भ में, समिति यह नोट करके चिंतित है कि यूसी और तीसरे पक्ष की निगरानी जैसे जवाबदेही तंत्र के बावजूद, निर्मित की गई संपत्ति की गुणवत्ता संतोषजनक से भी कम है। समिति का मत है कि निरीक्षण करने के लिए चयनित तृतीय पक्ष एजेंसी गंभीर नहीं है और लाभार्थियों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। समिति आगे यह भी नोट करती है कि निरीक्षण का कोई विवरण जैसे निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम, ऐसे निरीक्षण का समय आदि उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया जाता है जिससे वे अपनी चिंताओं को उजागर करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को परियोजना निर्माण के चरण से कार्यान्वयन तक शामिल किया जा

सकता है और उन्हें तीसरे पक्ष के निरीक्षण के विवरण के बारे में भी सूचित किया जा सकता है जैसे कि निरीक्षण एजेंसी का विवरण और समय पर निरीक्षण का समय ताकि उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

1.21 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"नीति आयोग ने वर्ष 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रगति संतोषजनक पाई गई है। डीएवाई-एनयूएलएम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी) के योजना संबंधी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि मिशन के विभिन्न घटकों के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) को शामिल करेंगे। तीसरे पक्ष की एजेंसी परियोजना स्थल का दौरा करेंगी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर सलाह देंगी। ऐसी एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट और अपने स्वयं के तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यों और यूएलबी को मिशन के तहत मानक गुणवत्ता वाले आवासों और बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करे। मंत्रालय ने 75:25 के आधार पर लागत साझा करके तृतीय पक्ष समानता निगरानी तंत्र को लागू करने के लिए और 90:10 के आधार पर एन ई और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में केंद्रीय सहायता प्रदान की। तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों की टिपण्णीयों पर कार्रवाई की गई रिपोर्ट (एटीआर) को राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से पहले अनुमोदन के लिए संबंधित राज्यों की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रखा गया है। योजना दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी करते हैं कि मांग सर्वेक्षण के परिणाम, कार्रवाई की सभी योजनाओं के लिए आवासन और वार्षिक कार्यान्वयन योजना पर स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए जिसमें उस क्षेत्र के विधायक और सांसद शामिल हैं और योजनाओं की लाभार्थी सूची को अंतिम रूप देने के दौरान उनके विचार पर्याप्त रूप से लिए गए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार स्वीकृत आवासों, निष्पादन/अधिग्रहण

चरणों, जारी की गई धनराशि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, परियोजनावार निधि स्वीकृति आदेश, परियोजना समय-सीमा, निष्पादन के विभिन्न चरणों का चित्रमय दृश्य, लाभार्थियों का विवरण आदि से संबंधित सभी जानकारी है। डैशबोर्ड प्रत्येक परियोजना का राज्य, जिला और शहरवार निष्पादन, उसकी वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों का डेटा, निधि की स्थिति, उसका उपयोग आदि प्रदान करेगा। मिशन निदेशालय संसद के सभी सदस्यों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करके डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करेगा। ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले जिलों/शहरों में परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति को भी देख सकें और उसका अवलोकन कर सकें। इस बीच इस तरह के लॉग इन आईडी और पासवर्ड को संसदीय स्थायी समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्यों के साथ साझा किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ परियोजनाओं के बारे में सभी संबंधित जानकारी साझा करें।

अमृत के तहत, अमृत मिशन के कार्यान्वयन के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों नियमित आधार पर प्रत्येक परियोजना का दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ कार्रवाई के सुधारात्मक पाठ्यक्रम को राज्यों के साथ-साथ मंत्रालय को भी प्रस्तुत करते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईएंडवाई) द्वारा किया गया था और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट 15.01.2021 को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने शामिल किया है कि शहरों के मेयरों को 'स्वच्छ वार्ड' प्रतियोगिता के आयोजन और निगरानी में लगाया जाना चाहिए। स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आयोजन स्वच्छ सर्वेक्षण के मूल्यांकन में संकेतकों में से एक है। वर्तमान में, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2023 चल रहा है जिसके लिए मूल्यांकन एजेंसी आईपीएसओएस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

डीएवाईके माध्यम से (क्यूसीआई) एनयूएलएम का मध्यावधि मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद- वर्ष2018 में किया गया था और मूल्यांकन ने मिशन को प्रासंगिक, इक्विटी उन्मुख, प्रभावी और प्रभावशाली पाया।"

1.22 समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने तीसरा पक्ष निगरानी या स्वतंत्र समीक्षा या मूल्यांकन तंत्र के बारे में विस्तार से बताया है निर्देशों के अंतर्गत उपलब्ध हैं।-जो विभिन्न मिशन दिशा ,तथापि, मंत्रालय समिति द्वारा उठाए गए बिंदु को समझने में विफल रहा है। समिति ने इस बात को इंगित किया है कि मौजूदा तीसरा पक्ष निगरानी और समीक्षा तंत्र के बावजूद, विभिन्न मिशनों के अंतर्गत या सृजित की गई संपत्ति के बारे में किए गए विभिन्न दावों/ प्राप्त की गई उपलब्धियों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अत :समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि परियोजना निर्माण के चरण से कार्यान्वयन तक स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया जाए और समिति को तीसरा पक्ष निरीक्षण यथा निरीक्षण एजेंसी के विवरण तथा निरीक्षण के समय के ब्योरे से भी अवगत कराया जाए ताकि इन निरीक्षणों को सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

सिफारिश (क्र. सं. 16)

<u>नगरपालिका बांड</u>

1.23 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति पाती है कि अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) जैसी योजनाओं में नगरपालिका बांडों के माध्यम से धन जुटाना एक घटक है। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि गाजियाबाद, लखनऊ और 10 अन्य शहरों जैसे विभिन्न नगर निगमों ने क्रेडिट रेटिंग मूल्यांकन किया है और बाजार से धन जुटाने में सफल रहे हैं। हालांकि, समिति राजधानी दिल्ली की नगर निगमों की क्षमताओं में अत्यंत भिन्नताओं देखकर आश्चर्यचकित है, जिसमें एनडीएमसी को नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त राजस्व है जबकि उत्तरी एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसके अलावा, समिति यह नोट करके चिंतित है कि एसडीएमसी नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय विभिन्न नगर निकायों की ऋण योग्यता में सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रभाव डालने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मामला उठाए और यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया जाए; तथा,

(दो) मंत्रालय दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को नगर निगम बांडों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनने के लिए इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष उठा सकता है।"

1.24 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"(i) मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, कार्यशालाओं और पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाता है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विशेषज्ञों द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

ii. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बांड जारी करने के संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 22.04.2000 और दिनांक 20.05.2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पत्र भेजे हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अपेक्षित सूचना/उत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 26.05.2022 को सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम से टिपण्णीयां मांगी हैं, जो अभी भी प्रतीक्षित हैं।"

1.25 समिति ने सभी एमसीडी को एकीकृत शीर्ष के तहत एकीकृत करने व इनका विलय करने के हाल के घटनाक्रमों को नोट किया है और समिति का इस संबंध में विचार है कि नगरपालिका बांड जारी करने की जांच नए परिप्रेक्ष्य और नजरियें के साथ की जानी चाहिए। समिति चाहती है कि उनको नगरपालिका बांड जुटाने के संबंध में नवीनतम स्थिति से अवगत कराया और क्या एमसीडी के विलय से वित्तीय स्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

*****

अध्याय- दो

टिप्पणियाँ/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम सं. 2)

<u>शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण- सामान्य सहायता अनुदान</u>

2. समिति नोट करती है कि यह शीर्ष व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन, व्यापक गतिशीलता योजनाओं (सीएमपी) और एकीकृत भूमि उपयोग के साथ सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन तैयार करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत सीएफए के लिए अलग-अलग शहरी परिवहन मेट्रो/एमआरटीएस परियोजनाओं आदि के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी स्वीकार्य घटक हैं।

निधियों के उपयोग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 के बाद से इस उद्देश्य के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) चरण में भी किए गए आवंटन का 31-73% तक लगातार कम उपयोग किया गया है। समिति दिए गए उत्तर से नोट करती है कि यह योजना मांग आधारित है और इस आशय के अनुरोध प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र/शहरी स्थानीय निकायों/मेट्रो रेल कारपोरेशन आदि को निधियां आबंटित की जाती हैं। इसलिए, यह माना जा सकता है कि चूंकि निधियों के लिए अनुरोध उपलब्धता के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए निधियों का कम उपयोग किया गया और 2017 18 के बाद से इसे वापस करना पड़ रहा है। तथापि, समिति का विचार है कि चूंकि कई टियर-2 शहरों/कस्बों द्वारा मेट्रो नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बस सेवाएं आदि जैसी प्रदूषण मुक्त गतिशीलता सेवाएं प्रदान करने के लिए पहल की जा रही है, इसलिए समिति मानती है कि ऐसे अध्ययनों को करने के लिए निधियों की मांग में कोई कमी नहीं होगी। समिति का मानना है कि इस योजना के बारे में लक्षित लाभार्थियों में जागरूकता की कमी हो सकती है। यदि उक्त प्रयोजन के लिए लक्षित लाभाथयों को निधियों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता होती, तो निधियों का वर्ष-दर-वर्ष इस प्रकार का कम उपयोग नहीं होता। अतः समिति का यह सुझाव हैं कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

सरकारों, आयोजना प्राधिकरणों, मेट्रो रेल प्राधिकरणों को नियमित अंतराल पर पत्राचार एवं अन्य माध्यमों द्वारा निधियों की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया जाए। यदि निधियों की कोई मांग नहीं है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में वापस करने के बजाय इसका कहीं और उपयोग किया जा सकता है।

2.1 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण योजना का व्यापक प्रचार करने की दृष्टि से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अ.शा.पत्र दिनांक 11-4-2022 के माध्यम से योजना का लाभ उठाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को परामर्शिका जारी की है।"

सिफारिश (क्रम सं. 3)

संबद्ध अवसंरचना और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन

2.2 समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित अपने पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में बजट 2021-22 में घोषित पीपीपी मोड पर संबद्ध अवसंरचना सहित सिटी बस सेवाओं के संवर्धन, जीएचजी उत्सर्जन में कमी और स्थायी गतिशीलता का समर्थन करने हेतु ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए 18,010 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तैयार की गयी एक नई योजना "एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन" की शुरुआत किए जाने की सराहना करते हुए, यह सिफारिश की थी कि यह महत्वपूर्ण पहल मिशन मोड में लागू की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत चार्जिंग प्वाइंट, सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन आदि जैसी अपेक्षित अवसंरचना का सृजन समय पर किया जाए।

तथापि, समिति इस बात से निराश है कि (क) मिशन मोड के अंतर्गत इस योजना को शुरू करने के सुझाव पर मंत्रालय का उत्तर मौन है; और, (ख) एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति को मंत्रालय के उत्तर से पता चला है

कि इस योजना को शुरू करने में विलंब (क) योजना में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ईएफसी की सलाह; और, (ख) विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया/जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों, नगर अधिकारियों, बस विनिर्माताओं और बस प्रचालकों के साथ बैठकें आयोजित करने के कारण हुआ था। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव आवासन और शहरी विकास मंत्रालय (एमओएचयूए) में अनुमोदन के अग्रिम चरण में है और इसे मार्च, 2022 में ही ईएफसी द्वारा मूल्यांकन हेतु व्यय विभाग को प्रस्तुत करने के लिए विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों की सहमति प्राप्त करने और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी, ईएफसी के अनुमोदन के लिए अंतिम प्रस्ताव रखने के लिए एक वर्ष का समय लेना वांछनीय नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) योजना को बिना कोई और देरी के मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है और ईएफसी से आवश्यक अनुमोदन और अधिक समय गंवाए बिना लिया जा सकता है, और

(दो) समिति को योजना की यथानुमोदित रूपरेखा और योजना के कार्यान्वयन की अंतिम स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है।

2.3 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" प्रस्तावित योजना पहले मार्च 2021 के महीने में तैयार की गई थी और ईएफसी ज्ञापन को सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन के लिए व्यय विभाग को भेजा गया था। योजना का मूल्यांकन 22.4.2021 को किया गया था और ईएफसी द्वारा एक संरचनात्मक परिवर्तन की सलाह दी गई थी। इसके बाद, मंत्रालय में राज्य सरकारों, शहरों, बस निर्माताओं और बस ऑपरेटरों के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की एक श्रृंखला में प्राप्त जानकारी के आधार पर, संशोधित प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए साझा किया गया था। अंतिम ईएफसी ज्ञापन वित्त मंत्रालय को 16.3.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर ईएफसी द्वारा दिनांक 13.4.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था। ईएफसी बैठक के दौरान योजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति

प्रदान की गई। मसौदा मंत्रिमंडल नोट अब वित्त मंत्रालय को उनकी मंजूरी के लिए 17.5.2022 को भेजा गया है।"

2.3(क) टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.10 देखें।

सिफारिश (क्रम सं. 5)

<u>पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वर्षवार आबंटन और उपयोग राशि</u>

2.4 सं.अ. चरण में पीएमएवाई (यू) के लिए संसाधनों के आवंटन और उपयोग पर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि (एक) वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से ही वर्ष 2018-19 के अलावा आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जब इसके आवंटन में 2137 करोड़ रुपये की गिरावट देखी थी; और, (दो) कुछ वर्षों में उपयोग 90% से अधिक और सं.अ. चरण में किए गए आबंटनों का लगभग 100% रहा था। लगभग पूर्ण आबंटनों को खर्च करने के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए, समिति मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति से नोट करके कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए उन्हें दिए गए 28000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है और अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, लगभग 82000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। समिति, (एक) योजना के शुरू होने के बाद से निधियों के उपयोग में मंत्रालय के उत्कृष्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए (दो) उन आवेदकों को निधियां वितरित करने की आवश्यकता है जिनके आवेदन प्राप्त, संसाधित और स्वीकृत किए गए हैं या 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले स्वीकृत किए जाने की संभावना है। (तीन) निर्माण/अचल संपत्ति क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गुणक प्रभाव; और, (चार) 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य, के मद्देनजर दृढ़तापूर्वक यह सुझाव देती है कि इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियां इस वर्ष में सं.अ. स्तर पर और अगले वर्ष के बजट में भी प्रदान की जाएं।

2.5 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत स्वीकृत आवासों में ₹ 2.03 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है, जिसमें से ₹ 1.18 लाख करोड़ 31.03.2022 तक जारी किए गए हैं। मिशन के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 57,395.00 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी करने की योजना है। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान आवंटन के रूप में ₹28,000.00 करोड़ में से, केवल ₹ 26,300.00 करोड़ ही राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करने के लिए उपलब्ध हैं। संशोधित अनुमान स्तर पर और साथ ही प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आधार पर पूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल निधि आवंटन और केंद्रीय सहायता के लिए शेष देयता के आधार पर किया जाएगा।"

सिफारिश (क्रम सं. 6)

पीएमएवाई (यू) के लिए क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता अन्य खर्च (सहायतानुदान-सामान्य)

2.6 समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आबंटित निधियां, केन्द्रीय क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय पीएसयूज/स्वायत्त निकायों को जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष का उपयोग, पीएवाई-यू के प्रौद्योगिकी उप-मिशन घटक के अंतर्गत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) और लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के कार्यान्वयन के लिए भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) और पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक उप-योजना, के अंतर्गत किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को सहायता अनुदान जारी करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी उप मिशन घटक का उद्देश्य आवासों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है।

वर्ष 2017-18 से निधियों के आवंटन और उपयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के अलावा, सं.अ. चरण पर आवंटित निधियों का निरंतर कम/शून्य उपयोग किया

जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मार्च, 2022 में 'सभी के लिए आवास योजना' की समाप्ति के बाद भी इस प्रयोजन के लिए क्या धन आवंटित किया जाना जारी रहेगा। समिति ने यह नोट किया कि संभव है कि कोविड-19 महामारी ने इस शीर्ष के अंतर्गत उपयोग को धीमा कर दिया हो, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्राप्त करने की समय सीमा निकट आ रही है, आधुनिक, तीव्र और हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बल देने के साथ, इस शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर कम उपयोग/शून्य उपयोग मंत्रालय के लिए अच्छा नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए, समिति को निम्नवत से अवगत कराया जाए:

(एक) वर्ष 2019-20 के अलावा, 2017-18 के बाद से, सं.अ. चरण पर किए गए आबंटन की तुलना में भी निधियों का पर्याप्त रूप से कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं और कम उपयोग स्तरों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(दो) (क) आवासों के निर्माण में विकसित और लागू की गई आधुनिक, नवोन्मेषी और हरित प्रौद्योगिकियों और, (ख) आवासों के तीव्रता और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए विकसित की गई निर्माण सामग्री के विशिष्ट मामलों का ब्यौरा क्या है।

(तीन) क्या मार्च, 2022 में इस योजना की समाप्ति के बाद भी निधियों का आबंटन जारी रहेगा;

इसके अतिरिक्त, समिति ने एमओएचयूए को इस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई सभी लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी और डीएचपी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करके इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके, टीएसएम को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए भी सिफारिश की।

2.7 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" इस शीर्ष के तहत आवंटित धनराशि, पीएमएवाई-यू के प्रौद्योगिकी उप-मिशन घटक और किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी), पीएमएवाई-यू के तहत एक उप-योजना के तहत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) और लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के कार्यान्वयन के

लिए भवन सामग्री और तकनीकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को सहायता अनुदान के रूप में पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों को जारी की जाती है। प्रौद्योगिकी उप मिशन घटक का उद्देश्य, आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों तथा भवन निर्माण सामग्री को तेजी से अपनाने और आवासों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण की सुविधा प्रदान करना है।

i. वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कम/शून्य उपयोगिता के कारण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं: -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक आकडे**	**शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों के कम उपयोगिता के कारण**
2017-18	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**--**
2018-19	**8.01**	**8.01**	**0.00**	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से डीएचपी के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, इन प्रस्तावों को विभिन्न कारणों से अनुमोदित/अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और शीर्ष के अंतर्गत किए गए ऐसे प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका। शीर्ष के तहत बचतों का पुन: विनियोजन किया गया और स्वीकृत परियोजनाओं में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए उपयोग किया गया।
2019-20	**8.57**	**103.57**	**103.57**	
2020-21	**250.00**	**250.00**	**71.7956**	वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, आवंटित निधियों का कम उपयोग कोविड -19
2021-22	**695.00**	**398.00**	**93.45**	

				महामारी के कारण हुआ था। शीर्ष के तहत बचतों का पुन: विनियोजन किया गया और स्वीकृत परियोजनाओं में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए उपयोग किया गया।
2022-23	**474.01**	--	--	एआरएचसी के तहत, मंत्रालय ने अनुमानित 600 करोड़ के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के साथ 2.95 लाख इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अब तक, 178.28 करोड़ रुपये की टीआईजी सहित 80,273 करोड़ इकाइयाँ हैं। वित्त वर्ष 2021-22 तक पहली किस्त के रूप में 83.26 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । वित्त वर्ष 2022-23 में, नई इकाइयों की स्वीकृति और पहले से स्वीकृत इकाइयों के साथ-साथ एलएचपी/डीएचपी परियोजनाओं की शेष किस्तों पर विचार करने का प्रावधान किया गया है।

ii. **(**क**)** आवासों के निर्माण में विकसित और लागू आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों के विशिष्ट मामलों का ब्यौरा; और **(ii)** आवासों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए विकसित भवन निर्माण सामग्री अनुलग्नक-**I** और अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

iii. ईएफसी ने 31.03.2022 तक स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए मिशन अवधि को 31.03.2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। मिशन अवधि बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय ने योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-यू के

विस्तार की मांग की है और विस्तारित अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए निधियों का प्रावधान किया जाएगा।

iv. पीएमएवाई-यू की योजना के तहत डीएचपी/एलएचपी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।"

सिफारिश (क्रम सं. 7)

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के एक भाग के रूप में विधानमंडलों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता

2.8 इस शीर्ष का आशय विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है। समिति, एमओएचयूए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से नोट करती है कि विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में, 4,673 आवासों के निर्माण के लिए 18 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 70.09 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता में से, अब तक कुल 36.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो संस्वीकृत राशि के 50% से थोड़ा अधिक है। समिति आगे यह नोट करती है कि संस्वीकृत आवासों में से 4,137 आवासों को निर्माण के लिए नींव डाली गई जबकि केवल 861 आवासों अर्थात् 21 प्रतिशत आवासों को ही पूरा किया गया है और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया गया है। वास्तव में, गत पांच वित्तीय वर्षों 2017-18 से 2021-22 के दौरान, केवल सं.अ. चरण में आवंटित न्यूनतम राशि खर्च की गई थी। यहां तक कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 के दौरान, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत "शून्य" राशि खर्च की गई है।

एमओएचयूए का तर्क है कि संस्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कम संख्या तथा परियोजनाओं की कम संख्या में अनुपालन की उपलब्धि के कारण वर्ष 2018-19 से निधियों का

सतत और पर्याप्त कम/शून्य उपयोग रहा है। यदि राज्य सरकार प्राधिकरणों ने गत चार वर्षों से निधियों का नियमित अंतराल पर अभ्यर्पण के मामलों को उठाया होता तो इससे बचा जा सकता था। समिति का विश्वास है कि इन वंचित समुदायों में पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है जिन्हें आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होती है। यदि मंत्रालय ने नियमित अंतराल पर संबंधित संघ राज्य क्षेत्र सरकार की आवश्यकता पर ध्यान दिया होता, तो वर्ष-दर-वर्ष निधियों को अभ्यर्पित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, समिति का सुझाव है कि योजना की समाप्ति से पहले निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

2.9 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएवाई-यू की प्रगति निम्नानुसार है:

क्रमांक	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वास्तविक प्रगति			वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये में)	
		स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवास	स्वीकृत केंद्रीय सहायता	जारी केंद्रीय सहायता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	580	580	22	8.71	1.43
2	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	-	-
3	डीएनएच और डीडी के संघ राज्य क्षेत्र	3150	2618	419	47.25	25.30
4	लद्दाख (यूटी)	1312	1020	537	30.13	21.23

5	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-
कुल		5042	4218	978	86.09	47.96

उपरोक्त के अलावा, 166.68 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्रों के 8130 लाभार्थियों को संवितरित की गई।

पीएमएवाई-यू के तहत परियोजनाएं संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा मूल्यांकन/प्राप्त की गई मांग के आधार पर तैयार की जाती हैं। विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत 5,042 आवासों में से 239 आवास अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के हैं। इन लाभार्थियों के लिए अब तक ₹0.72 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 31.03.2022 की अवधि तक नए आवासों की मंजूरी और पहले से स्वीकृत लाभार्थियों को जारी करने के लिए केंद्रीय सहायता की देय किस्त पर विचार करते हुए चालू वित्त वर्ष में ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिशन इस बात से सहमत है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों का उस उद्देश्य के लिए पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था जिसके लिए इसे रखा गया था, हालांकि, योजना के लिए आवंटित धन के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए शीर्ष के तहत बचत को योजना के अन्य शीर्षों में पुन: विनियोजित किया गया था। तथापि, समिति के सुझाव को बिना विधायिका वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उठाया जाएगा ताकि वंचित समुदायों का कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभों से वंचित न रहे।"

सिफारिश (क्रम सं. 8)

<u>स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एएफडी द्वारा वित्तपोषित स्कीम - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान</u>

2.10 समिति को अवगत कराया गया है कि इस शीर्ष का सृजन **11** स्मार्ट सिटी एसपीवी **(**अर्थात् अगरतला**,** अमृतसर**,** अमरावती**,** भुवनेश्वर**,** चेन्नई**,** देहरादून**,** हुबली**-**धारवाड़**,** कोच्चि**,** सूरत**,** विशाखापत्तनम**,** उज्जैन**)** को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था**,** जिन्हें धारणीय शहरी अवसंरचना तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में आवासन और शहरी मामले मंत्रालय **(**एमओएचयूए**)** द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन **(**एससीएम**)** के अंतर्गत सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट**,** इंटीग्रेट एंड सस्टेन

(सीआईटीआईआईएस) कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया था। तथापि, इस शीर्ष के अंतर्गत धन आवंटन और उपयोग दर्शाता है कि कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार, चयनित 11 शहर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनिवार्य अनुपालन दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम थे और उन्हें अब तक केवल पहली किस्त जो अनुदान घटक का 10% है, अर्थात् 72 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। दूसरी किस्त (अनुदान घटक का 40%) का दावा करने के लिए, एसपीवी को परिपक्वता चरण को पूरा करना था और पहली किस्त के 80% राशि के उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। यह जानना निराशाजनक है कि बाद के वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2020-21 और 2021-22 में एसपीवी वितरित की गई इस पहली किस्त के 80% का भी उपयोग नहीं कर सके या परिपक्वता चरण को पूरा नहीं कर सके और इसलिए, दूसरी किस्त का दावा नहीं कर सके। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह कि सीआईटीआईआईएस अपने आप में एक अनूठी पद्धति है, समिति चाहती है कि एसपीवी, जिन्होंने अभी तक पहली किस्त का उपयोग नहीं किया है, उनके द्वारा कार्यक्रम दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए गैर-अनुपालन के कारणों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट साथ ही, उनपर एमओएचयूए की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाए। समिति इस बात पर एकमत मत है कि एमओएचयूए की भूमिका केवल निधियों के आबंटन तक ही सीमित नहीं होगी। एमओएचयूए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 11 एसपीवी आवश्यक अनुपालन सेट को पूरा करने में सक्षम हैं और विनिर्दिष्ट कार्यक्रम से लाभ उठाने में भीसक्षम हैं।

2.11 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के तहत मार्च, 2019 में 12 एसपीवी का चयन किया गया था। इन एसपीवी को नवाचारी और सुस्थिर शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल रही है जिससे नागरिकों को लाभ होगा। सीआईटीआईआईएस को शहरी नवाचार के लिए एक सैंडबॉक्स के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहाँ प्रत्येक एसपीवी को 24 चरणों की परिपक्वता प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें एक परियोजना तार्किक अवसंरचना ढांचा विकसित करना, एक हितधारक कार्य योजना, एक आधारभूत अध्ययन रिपोर्ट, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की जांच, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना, व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि शामिल है। जबकि एसपीवी परिपक्वता के चरण में थे, उन्हें एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय सलाहकार, एक घरेलू विशेषज्ञ और

ट्रांसवर्सल विशेषज्ञों के एक पूल के माध्यम से त्रि-स्तरीय तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। परिपक्वता चरण ने परियोजना डिजाइन को अत्यधिक लाभान्वित किया है; उदाहरण के लिए अमृतसर परियोजना जो एक शुद्ध विद्युत गतिशीलता परियोजना थी, अब सामाजिक परिवर्तन के परिणाम भी दे रही है। शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि परिपक्वता चरण 6-9 महीने तक चलेगा, लेकिन पहली बार शुरू की गई कार्यक्रम प्रक्रिया की नवीन प्रकृति और कोविड प्रतिबंधों के कारण लगभग 1.5 साल लग गए, जिसने विशेषज्ञों और परियोजना पर पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी क्योंकि वे कोविड ड्यूटी पर थे।

कार्यक्रम के डिजाइन के अनुसार, चयनित एसपीवी को अनुपालन दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 10%, 40%, 40% और 10% की चार किस्तों में आवंटित राशि जारी की जानी है। 2019 में एसपीवी को स्वीकृत निधि के 10% की पहली किश्त संवितरित की गई थी और वर्तमान में 11 एसपीवी (सिफारिश संख्या 8 में उल्लिखित) द्वारा कुल उपयोग 28 फरवरी 2022 को 60% है। कुल परिव्यय के साथ दूसरी किश्त दो एसपीवी (उज्जैन, और हुबली धारवाड़) को ₹ 64 करोड़ का संवितरित की गई है और अन्य एसपीवी वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में दूसरी किश्त का अनुरोध करेंगे। एनआईयूए के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में एसपीवी के साथ मासिक निगरानी बैठक आयोजित करता है और एनआईयूए प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिए त्रैमासिक आन-साइट मिशन आयोजित करता है। सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली कुल निविदाओं के 70% के अनुरूप ₹ 609 करोड़ की निविदाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं या जारी की जा चुकी हैं। यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक, सभी निविदाएं पूरी हो जाएंगी, और कार्य आदेश दिए जाएंगे। इससे परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति में तेजी आएगी।

एसपीवी-वार स्थिति रिपोर्ट उन एसपीवी के लिए नीचे दी गई है जिन्होंने अभी तक पहली किश्त का उपयोग नहीं किया है या दूसरी किश्त प्राप्त नहीं की है:

#	एसपीवी	स्थिति	मंत्रालय की टिप्पणियां

1	अगरतला	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 54% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 3 • प्रदान/खुली निविदाओं का मूल्य: 77.77 करोड़ **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• परियोजना में, परियोजना क्षेत्र के 37 परिवारों के पुनर्वास का घटक है जिसमें भारत सरकार के दिशानिर्देशों और वित्त पोषण एजेंसी (एएफडी) द्वारा यथा आवश्यक कई हितधारक बैठकें और संबद्ध प्रशासनिक अनुमोदन शामिल थे, जो एक समय-लगने वाली प्रक्रिया थी। • परियोजना क्षेत्र में बांस की दुकानों का पुनर्वास एक न्यायालयधीन मामला बन गया है जिसके कारण घटक को अंतिम रूप देने में देरी हुई। • एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए, साइट पर एक ऑटो स्टैंड द्वारा अतिक्रमण किया गया था। बहुत विलंब और अगरतला के माननीय मेयर के हस्तक्षेप के बाद, इस साइट को परियोजना के लिए सौंप दिया गया है। • परियोजना अभी उन्नत चरण में है और सभी निविदाएं या तो प्रदान की गई हैं या मंगाई गई हैं।
2	अमरावती	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 60% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की	• कार्यक्रम का एक प्रमुख अनुपालन राज्य सरकार से एसपीवी द्वारा खोले गए सीआईटीआईआईएस परियोजना बैंक खाते में धन का हस्तांतरण है। सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम की

		गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 5 • प्रदान/खुली निविदाओं का मूल्य: 81.20 करोड़ **लंबित अनुपालन:** राज्य से एसपीवी को निधियों का स्थानांतरण	पहली किस्त राज्य सरकार से एसपीवी को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस मुद्दे के कारण, एसपीवी ठेके देने में असमर्थ है। • मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया है।
3	अमृतसर	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 9% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 1 (ओईएम का पैनल) **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• राही परियोजना की प्रकृति खरीद गहन नहीं है क्योंकि कुल परियोजना लागत का अधिकांश हिस्सा ऑटो-रिक्शा चालकों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाना है। • परियोजना में छह प्रमुख घटक हैं, जिनमें से अधिकांश लागत गहन नहीं हैं जिनका कालानुक्रमिक रूप से पालन किया जाना चाहिए, जैसे: o अमृतसर में ऑटो रिक्शा चालक सहकारी समिति का गठन o डीजल ऑटो रिक्शा की जगह ई-ऑटो o शहर में 19 स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास o प्रमुख मेट्रोबस स्टेशनों पर

			मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) और पैदल यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार o ऑटो चालकों के परिवार की महिला सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण; और साझा आधार पर चलने वाले ई-ऑटो का रूट युक्तिकरण। • यद्यपि परियोजना कम वित्तीय उपयोग दर्शाती है, परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, 05 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए [भारतीय स्टेट बैंक, भारत महिला सम्मेलन, ईईएसएल और 2 मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ]; ऑटो रिक्शा चालक सहकारी समिति को पंजीकृत किया गया है और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 19 स्थानों का व्यवहार्यता अध्ययन ईईएसएल के साथ किया गया है। • एसपीवी ने अपने सीआईटीआईआईएस परियोजना का व्यापक प्रचार शुरू किया है और यह उम्मीद करता है कि ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ई-ऑटो की खरीद में वृद्धि होगी और सब्सिडी के संवितरण के परिणामस्वरूप, वित्तीय प्रगति में भी

			सुधार होगा।
4	भुवनेश्वर	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 29% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: शून्य **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• भुवनेश्वर परियोजना के विकास के एक एकीकृत दृष्टिकोण का पालन कर रहा है, जहां भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और भुवनेश्वर नगर निगम संयुक्त रूप से सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के माध्यम से शहर भर में अवसंरचना का विकास कर रहे हैं। सभी हितधारकों के बीच एक सहयोग समझौता एक समय लगने वाली प्रक्रिया थी। • एसपीवी ने सभी आवश्यक अनुपालन पूरे कर लिए हैं और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक निविदा करना शुरू कर देंगे।
5	चेन्नई	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का %97उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या:24 • प्रदान/खुली	• एसपीवी सीआईटीआईआईएस खाते के लिए एकल नोडल एजेंसी खाता खोलने की प्रक्रिया में है जो एसपीवी को निधियों के हस्तांतरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। चेन्नई एसपीवी खाता खोलने की दिशा में काम कर रही है। खाता खुलते ही पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

		निविदाओं का मूल्य: 80.98 करोड़ **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• एसपीवी ने अपनी खरीद योजना के अनुसार अधिकांश निविदाएं प्रदान/जारी की हैं, वित्तीय और वास्तविक प्रगति में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में काफी सुधार होने का अनुमान है।
6	देहरादून	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 35% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: शून्य **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• एसपीवी में समन्वय और प्रशासनिक मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में देरी हुई है। • कुल स्टेशन सर्वेक्षण (अन्य के बीच) करने के अनुमोदन में देरी के कारण सड़क के डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी हुई। • देरी का एक अन्य कारण कोविड के कारण स्कूलों को बंद करना रहा है जिसके कारण हितधारक विश्लेषण करने में देरी हुई। • आवश्यक अनुपालन पूरा कर लिया गया है और एसपीवी वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक निविदा देना शुरू कर देगा।
7	कोच्चि	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 76% उपयोग किया गया	• कोविड के कारण कोच्चि में परियोजना में देरी हुई है क्योंकि एसपीवी के पूरे स्टाफ को एक वर्ष से अधिक समय से कोविड

		वास्तविक प्रगति: • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 2 • प्रदान/खुली निविदाओं का मूल्य: 9.33 करोड़ **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	ड्यूटी पर तैनात किया गया था और सीआईटीआईआईएस परियोजना पर प्रगति ठप हो गई थी। • कोच्चि परियोजना की निविदा अब पूरी हो चुकी है और परियोजना दिसंबर, 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगी।
8	सूरत	**वित्तीय प्रगति:** • पहली किश्त का 7% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 8 • प्रदान/खुली निविदाओं का मूल्य: 91.84 करोड़ **लंबित अनुपालन:** लागू नहीं	• सूरत में देरी का एक कारण कोविड भी है क्योंकि एसपीवी का पूरा स्टाफ एक साल से अधिक समय से कोविड ड्यूटी पर तैनात था। • 2021 की पहली छमाही में गुजरात में ठेकेदारों की हड़ताल के कारण, क्विक-विन परियोजना के लिए चार बार निविदाएं मंगाई गईं, इसमें कोई बोली नहीं लगी। अंत में, क्विक-विन परियोजना को दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2022 में भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। • परियोजना के तहत सभी निविदाएं या तो मंगाई गई हैं या वे जारी करने की प्रक्रिया में हैं।
9	विशाखापत्तनम	**वित्तीय प्रगति:**	• कार्यक्रम का एक प्रमुख अनुपालन राज्य

		• पहली किश्त का 56% उपयोग किया गया **वास्तविक प्रगति:** • प्रदान की गई/खुली निविदाओं की कुल संख्या: 8 • प्रदान/खुली निविदाओं का मूल्य: 51.20 करोड़ **लंबित अनुपालन:** राज्य से एसपीवी को निधियों का स्थानांतरण	सरकार से एसपीवी द्वारा खोले गए सीआईटीआईआईएस परियोजना बैंक खाते में धन का हस्तांतरण है। सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम की पहली किस्त राज्य सरकार से एसपीवी को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस मुद्दे के कारण, एसपीवी ठेके देने में असमर्थ है। • मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया है। • देरी का एक अन्य कारण ठेकेदारों की अनुपलब्धता है, क्विक-विन परियोजना को प्रदान करने से पहले पांच बार निविदा प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा।

"

सिफारिश (क्रम सं.9)

<u>एसबीएम (यू) के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन और उपयोग</u>

2.12 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए 2016-17 से 2020-21 तक पांच साल की अवधि के लिए संसाधनों के आवंटन और खर्च की पद्धति से यह पता चलता है कि आवंटन का 90% से अधिक खर्च किया, जब उसने 2018-19 में सं.अ. चरण में उपलब्ध निधियों का केवल 82% खर्च किया था। इसके अलावा,

तीन वित्तीय वर्षों 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में, सं.अ. चरण में उपलब्ध कराए गए निधि का लगभग 100% खर्च किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि 07.02.2022 तक, यह सं.अ. चरण में आवंटित निधि का 37% खर्च किया था।

अगले दो महीनों में, संशोधित अनुमान के शेष 63% करने के लिए मंत्रालय की क्षमता के बारे में समिति की आशंका के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि 07.03.2022 की स्थिति के अनुसार निधि के 62% पहले ही खर्च/जारी किए जा चुके हैं और 31 मार्च 2022 से पहले शेष 38% भी खर्च/उपयोग किए जाएगें। समिति को यह आश्चर्यजनक लगता है कि मंत्रालय ने लगभग 30% निधियां एक महीने के भीतर और अन्य 38% एक महीने से भी कम समय में खर्च कर दी। इसके अलावा, समिति ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष पेश होने के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों से यह नोट करती है कि आज की तारीख के अनुसार एसबीएम 2.0 के अंतर्गत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 700 करोड़ रुपये मंत्रालय तक पहुंच चुके हैं, जिन पर 31.03.2022 तक मंत्रालय कार्रवाई करेगा। समिति इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या इस तरह के "मार्च रश" जहां किसी विशेष मद के अंतर्गत आवंटित अधिकांश निधियां अंतिम तिमाही में खर्च की जा रही है, को विवेकपूर्ण खर्च माना जा सकता है। समिति यह स्वीकार करते हुए कि यह एक मांग आधारित योजना है और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई मांगों पर निर्भर करता है, तथापि, यह इंगित करता है कि इस तरह के जल्दबाजी में किए गए व्यय से यह आभास होता है कि मांग केवल इस मद के अंतर्गत आवंटित निधि का उपयोग करना किसी उद्देश्य से उत्पन्न की गई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान, लगातार आवंटित संसाधनों का उपयोग पांच वर्षों में से तीन वर्षों में, 90% से अधिक का उपयोग करने में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए, लगभग 100% है, समिति चाहती है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के खर्च में इतनी बड़ी कमी के कारणों से समिति को अवगत कराएं और व्यय विभाग द्वारा जारी विहित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अंत में पर्याप्त आवंटन से बचने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएं।

2.13 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"(i) मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों) से प्राप्त निधि मांग प्रस्तावों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और शर्तें हैं, जैसा कि एसबीएम-यू परिचालन दिशानिर्देशों और व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी अन्य निर्देशों में निर्धारित है, जिन्हें मंत्रालय द्वारा जारी होने वाले केंद्रीय शेयर (सीएस) की निधि से पहले पूरा करना आवश्यक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सीएस निधियों की मांग के कई प्रस्ताव इन अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और तत्काल निधि जारी करने के योग्य नहीं होते हैं। अक्सर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएस निधि जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में काफी समय लगता है। इसके अलावा, अन्य कारक भी हैं जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से प्रतिक्रिया की सीमा, विभिन्न बाधाएं (निविदा जारी न हो पाना, अतिक्रमण मुक्त भूमि प्राप्त करना, स्थानीय मुद्दे जैसे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और इसकी प्राथमिकताएं, स्थानीय चुनाव, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ राज्यों में चरम जलवायु परिस्थितियों और बारिश के मौसम के दौरान बड़े हिस्से में बाढ़, आदि) का सामना यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को वास्तविक रूप से लागू करने में करना पड़ा। इसलिए बजट उपयोग का प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है।

(ii) 2020-21 के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में अधिकांश जमीनी स्तर के काम जैसे निविदा जारी करना, संविदा, ठेकेदारों द्वारा परियोजना कार्य का निष्पादन, आदि लॉकडाउन के कारण व्यापक रूप से बाधित थे और कोविड प्रतिबंधों के कारण श्रमिकों की कमी एंव यूएलबी समय पर कार्य निष्पादित नहीं कर सके जिसके कारण उन्हें पहले जारी की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने में देरी हुई। मिशन दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार, यूसी जमा न करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी को आगे सीएस निधि जारी नहीं किया जा सकी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 9-10 महीनों में सीएस निधि जारी करना प्रभावित हुआ।

इसके अलावा, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसबीएम-यू के तहत उन्हें आवंटित किए जाने वाली अधिकांश सीएस निधि पहले ही प्राप्त कर ली हैं। इसलिए इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास एसबीएम-यू (मिशन का पहला चरण) के तहत सीएस निधि के आवंटित पूल में बहुत अधिक धनराशि नहीं बची थी। हालांकि, मिशन का दूसरा चरण, एसबीएम-यू 2.0 01.10.2021 को शुरू किया गया था

और उसके बाद 27 अक्टूबर, 2021 को परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार अधिकांश राज्यों ने दिशानिर्देशों को पूरा करने के अनुपालन और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की मंजूरी मिलने के बाद फरवरी और मार्च, 2022 में एसबीएम-यू 2.0 के तहत जारी की जाने वाली केंद्रीय शेयर (सीएस) निधि के लिए अपने प्रस्ताव और कार्य योजनाएं प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। इसलिए, अधिकांश प्रस्तावों पर कार्रवाई फरवरी और मार्च, 2022 के महीने में शुरू की गई, और इन दो महीनों के दौरान धनराशि जारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 07.02.2022 को 37% से 07.03.2022 को 63% तक व्यय में भारी उछाल आया और 31.03.2022 तक शेष आरई आवंटन और व्यय हुआ।

इसलिए यह सराहना की जा सकती है कि खर्च "मार्च-रश" या अविवेकपूर्ण खर्च नहीं था, बल्कि वैध और वास्तविक मांग-आधारित खर्च था, जो मिशन के दूसरे चरण, यानी एसबीएम-यू 2.0, अक्टूबर में शुरू होने के कारण हुआ था। 2021 और उसके बाद एसबीएम-यू 2.0 के तहत निधि अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।"

सिफारिश (क्रम सं.12)

<u>एनयूएलएम- अनुदान-सहायता सामान्य के अंतर्गत अभिनव और विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी</u>

2.14 समिति नोट करती है कि इस शीर्ष का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों से इतर को मिशन के अभिनव और विशेष परियोजनाओं (आई एंड एसपी घटक के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए किया जाता है। समिति को इस बात पर खेद है कि 2018-19 से सं.अ. चरण के आवंटन की तुलना में एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया था।

मंत्रालय द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियों के इस "शून्य" उपयोग का कारण आई एंड एसपी के अंतर्गत राज्यों से उपयुक्त प्रस्तावों की कमी है और इसलिए उपलब्ध बजट का उपयोग अनुमोदित कार्य योजनाओं और पिछली देयताओं पर किया गया था। हालांकि, समिति मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण को समझने में असमर्थ है क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है (शून्य) यहां तक कि अनुमोदित कार्य योजनाओं और पिछली देयताओं पर भी, जैसा कि डीडीजी में वर्षों

से प्रस्तुत आंकड़ों में देखा गया है। फिर भी, समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के स्तर पर इस मद के अंतर्गत आवंटन में भारी उछाल आया है, जो रुपये का भुगतान करने के लिए है। एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) को निर्माण क्षेत्र में 1.06 लाख उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए नई आई एंड एसपी परियोजना के लिए 46.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत के साथ अभिनव और विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी) घटक के अंतर्गत लेकिन साथ ही इस बात को लेकर आशंकित महसूस करें कि क्या मंत्रालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बढ़ी हुई राशि का उपयोग कर पाएगा कि 31.12.2021 तक, इस शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक व्यय अभी भी "शून्य" है। इसलिए, समिति मंत्रालय से यहसिफारिश करती है:

(एक) समिति का मूल्यांकन करें कि उपलब्ध बजट का उपयोग स्वीकृत कार्य योजनाओं और पिछली देयताओंपर कैसे किया गया था, जब 2018-19 से प्रत्येक वर्ष का वास्तविक व्यय "शून्य" दिखाया गया है।

(दो) निर्माण क्षेत्र में 1.06 लाख उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण हेतु नई आई एंड एसपी परियोजना की स्थिति के बारे में भी समिति को अवगत कराएं और यह भी बताएं कि एनएसडीसी को 31.12.2021 तक इस उद्देश्य के लिए कोई निधियां क्यों जारी नहीं की गई है; तथा

(तीन) गैर एनईआर राज्यों के साथ डीएवाई-एनयूएलएम के आई एंड एसपी घटक के अंतर्गत अधिक से अधिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रयास करें ताकि इस विशेष शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

2.15 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों को राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सम्यक अनुमोदन से योजना के अन्य संबंधित शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया

था, पिछली देनदारियों के समाशोधन सहित उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार जिसका उपयोग राज्यों के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

(i) मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में वित्त मंत्रालय के उचित अनुमोदन से एनएसडीसी को 31.03.2022 को ₹ 46.44 करोड़ जारी किए गए हैं। एनएसडीसी ने जून 2022 के अंतिम सप्ताह तक इस परियोजना के शुभारंभ के लिए आवश्यक तैयारी कर ली है।

(ii) माननीय समिति के सुझावों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।"

सिफारिश (क्रम सं.13)

सरकारी प्रिंटिंग प्रेस-मशीनरी और उपकरण के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

2.16 समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धनराशि भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस हेतु मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए है। समिति आगे नोट करती है कि इस शीर्ष का बजट अनुमान 2017-18 में 0.50 करोड़ से लेकर 2020-21 में 90 करोड़ अधिक से अधिक रहा। तथापि, समिति ने चिंता व्यक्त की कि 2017-18 में सं.अ. स्तर पर किए गए आवंटन का केवल 66% उपयोग किया गया था। आगे 2018-19 में उपयोगिता और कम हो गई, जिसके दौरान सं.अ. स्तर पर "शून्य" व्यय रहा और शून्य उपयोग की प्रवृत्ति फिर से जारी रही, 2019-20 और 2020-21 में भारी आवंटन के बावजूद तथा सं.अ. स्तर पर भी आवंटन में भारी वृद्धि के बावजूद कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी। समिति ने कम/शून्य उपयोग के लिए एमओएचयूए द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों की जांच करते हुए पाया कि: (i) वर्ष 2017-18 के दौरान खरीदी गई मशीनरी की लागत मशीनरी की अनुमानित लागत से कम थी; (ii) 2019-20 और 2020-21 भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली के आधुनिकीकरण के अंतर्गत मशीनरी की खरीद के लिए राशि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्रेस के भवन के निर्माण के पूरा होने में देरी के कारण व्यय नहीं की जा सकी; (ii) मशीनरी की खरीद के लिए मांगी गई निविदा भागीदारी की कमी के कारण रद्द कर दी गई,

(iv) भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से कम की वैश्विक निविदा आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। समिति ने (i) से (iv) बिंदुओं में दिए गए कारणों के औचित्य को स्वीकार करते हुए इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों के कम/शून्य उपयोग को इंगित करते हुए कहा कि उपरोक्त सभी कारणों और "शून्य" खर्च की तुलना में भी पिछले वर्षों (2019-20 और 2020-21) में सं.अ. को तेजी से कम करने के बावजूद, इस उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों (अर्थात् 2020-21 और 2021 22) में भी अधिक आवंटन की मांग की गई और यहाँ तक कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 में भी सं.अ. चरण के दौरान आवंटित 65 करोड़ में से 31.12.2021 तक केवल 1.94 लाख खर्च किए जा सके हैं। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि:

(एक) कोविड-19 के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई और भारत सरकार प्रेस, मिंटो

रोड, नई दिल्ली की आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए।

(दो) मशीनरी की खरीद के लिए जारी निविदा के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं और व्यापक प्रचार किए जाएँ तथा,

(तीन) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवश्यक मशीनरी का निर्माण स्वदेशी रूप से नहीं

किया जाता है, 200 करोड़ रुपये से कम की वैश्विक निविदा आमंत्रित करने पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में एक बार छूट की मांग करने के लिए व्यापक परामर्श के माध्यम से उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

2.17 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

(i) "भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली की आधुनिकीकरण परियोजना में तेजी लाने के सर्वोत्तम प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रणालय भवन निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और मौजूदा मशीनों और उपकरण के साथ नवनिर्मित भवन में मुद्रणालय चालू है।

दूसरे चरण अर्थात 6 आवश्यक आवासीय अधिकारियों के क्वार्टर, कैंटीन, वेस्ट पेपर गोदाम, संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी) के लिए बैरक, रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) के कर्मचारियों, कल्याण क्लब आदि के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली के लिए दिनांक 22.03.2022 को मुद्रण मशीनरी और उपकरणों की खरीद, संस्थापना और रखरखाव के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) की नियुक्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनबीसीसी ने प्रिंटिंग मशीनरी और उपकरणों की खरीद और इन निविदाओं की आगे की प्रक्रिया के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों निविदाएं पहले ही जारी कर दी हैं।

(ii) पी एम सी (एन बी सी सी) ने प्रिंटिंग मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों निविदाए जारी कर दी हैं। व्यापक प्रचार के लिए, वैश्विक निविदा दस्तावेजों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से संभावित विनिर्माण देशों के दूतावासों को परिचालित किया गया है। निविदा दस्तावेज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और सीपीपी पोर्टल की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे।

(iii) भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली के लिए 200 करोड़ रु. से कम की वैश्विक निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर एक बार छूट दी गई और मंत्रिमंडल सचिवालय ने उनके आई.डी.सं.213/2/1/2020-सीए-IV(वॉल्यूम.II) दिनांक 6 सितंबर 202 के तहत अनुमोदन प्रदान किया था जिसने मुद्रण मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने में सक्षम बनाया।"

सिफारिश (क्रम सं.14)

<u>उपयोगिता प्रमाणपत्र</u>

2.18 समिति नोट करती है कि जीएफआर 151(1) के अनुसार**,** पिछले वर्ष जारी किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने

चाहिए ताकि आगामी वर्षों के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की जा सके। समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से आगे नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, पिछले वित्तीय वर्षों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी लंबित हैं। समिति चिंता व्यक्त करती है कि जब तक इन लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक उक्त शीर्ष के अंतर्गत आगे की धनराशि जारी नहीं की जाएगी जिससे योजना/कार्यक्रम की प्रगति धीमी हो जाएगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि संबंधित राज्यों/यूएलबी द्वारा पिछले वर्ष के सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें आवश्यक धनराशि जारी की जाए।

2.19 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238, नियम 239 और नियम 240 के प्रावधानों के तहत; अनुदान जारी किए जाने वाले अगले वित्तीय वर्ष के बंद होने के 12 महीनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना आवश्यक है। संस्था अथवा संगठन को अनुदान देने के संबंध में प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था, उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर संबंधित संस्था और संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है। इसी तरह राज्य सरकार को भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होता है जब केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियों को अगले वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करना आवश्यक है अर्थात् 11-23 महीने की अवधि के बाद, जारी करने की अवस्था के आधार पर, विभिन्न योजनाओं के तहत 2020-21 के दौरान जारी धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र चालू वर्ष 2022-23 तक जमा किया जाना आवश्यक होता है।

मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक जारी कुल 2,00,531 करोड़ रु. के अनुदानों में से, जारी किए गए अनुदान का लगभग 88 प्रतिशत वाले 1,76,401 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं। शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र में 2021-22 में जारी किए गए यूसी शामिल हैं, जिसके लिए यूसी अन्यथा देय नहीं हैं और अगले वित्तीय वर्ष में देय हो जाएंगे।

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को जमा करने की निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ गहन समन्वय में की जा रही है जहां इस मुद्दे को समय-समय पर यात्राओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पत्रों और ईमेल के माध्यम से उठाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

दिनांक तक	**देय और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र**
01.04.2022	9,997
03.06.2022	9,403

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों आदि को नियमित रूप से सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र जल्द से जल्द जमा करने की सलाह दी जा रही है।"

सिफारिश (क्रम सं.16)

<u>म्युनिसिपल बांड</u>

2.20 समिति पाती है कि अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) जैसी योजनाओं में नगरपालिका बांडों के माध्यम से धन जुटाना एक घटक है। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि गाजियाबाद, लखनऊ और 10 अन्य शहरों जैसे विभिन्न नगर निगमों ने क्रेडिट रेटिंग मूल्यांकन किया है और बाजार से धन जुटाने में सफल रहे हैं। हालांकि, समिति राजधानी दिल्ली की नगर निगमों की क्षमताओं में अत्यंत भिन्नताओं देखकर आश्चर्यचकित है, जिसमें एनडीएमसी को नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त राजस्व है जबकि उत्तरी एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसके अलावा, समिति यह नोट करके चिंतित है कि एसडीएमसी नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय विभिन्न नगर निकायों की ऋण योग्यता में सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रभाव डालने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मामला उठाए और यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया जाए**;** तथा**,**

(दो) मंत्रालय दक्षिण दिल्ली नगर निगम **(**एसडीएमसी**)** को नगर निगम बांडों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनने के लिए इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष उठा सकता है।

2.21 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

(i) मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, कार्यशालाओं और पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाता है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विशेषज्ञों द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

(ii.) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बांड जारी करने के संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 22.04.2000 और दिनांक 20.05.2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पत्र भेजे हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अपेक्षित सूचना/उत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 26.05.2022 को सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम से टिपण्णीयां मांगी हैं, जो अभी भी प्रतीक्षित हैं।"

2.22 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.25 देखें।

*****

अध्याय- तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय- चार

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्रम सं.1)

<u>मिशन/योजना अवधि के माध्यम से एकसमान आबंटन और निधियों के उपयोग की आवश्यकता</u>

4. समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि संशोधित अनुमानों की तुलना में आबंटित संसाधनों का मंत्रालय द्वारा उपयोग 2016-17 की तुलना में 94% अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, 07.02.22 तक उपयोग 67.07% था और मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार समिति को उम्मीद है कि इस वर्ष में भी उपयोग का स्तर पहले के वर्षों के प्रदर्शन के अनुरूप होगा। समिति ने इस प्रकार के उच्च स्तर के उपयोग की सराहना करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे ताकि सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में सं.अ. चरण में अपने आवंटन को कम कर दिया था, इस बात की सराहना करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सं.अ. चरण में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। इस तरह के बढ़े हुए आवंटन शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छे संकेत देते हैं जिनकी आबादी 2011 के 37.71 करोड़ से 2031 तक 60 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और आगे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनने की उम्मीद है। समिति आगे, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों से, नोट करती है कि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान (सं.अ.) में 19,269.26 करोड़ रुपये की यह उछाल मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये, पीएमएसवीएनिधि के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये और केंद्रीय विस्टा परियोजनाओं/नई संसद भवन सहित सीपीडब्ल्यूडी के जीपीआरए/जीओपीओए के लिए 169.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

समिति यह स्वीकार करती है कि चूंकि यह पीएमएवाई (यू) का अंतिम वर्ष है, इसलिए योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की मांग की गई थी। तथापि, समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से नोट किया कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, उन्हें दिए गए 28,000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है और वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान लगभग 82,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय वर्तमान में केवल 28,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के

लिए सहमत हुआ है और आश्वासन दिया है कि शेष निधियों को बाद के वर्षों में धीरे-धीरे आवंटित किया जाएगा। समिति का मत है कि यदि मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तेजी से कार्य करने और योजना से संबंधित संभारतंत्रीय और तकनीकी मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए प्रेरित करके आरंभ में और अधिक निधियों की मांग की होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने पिछले अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, जिसमें यह प्रवृत्ति रही है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के अंतिम और समापन वर्षों में अत्यधिक मात्रा में निधियों की मांग की जाए जैसा कि पीएमएवाई (यू) के मामले में देखा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि किसी विशेष योजना में वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को योजना के आरंभ वर्ष की शुरुआत से ही पूरा किया जाए और इस प्रकार योजना/मिशन अवधि के दौरान निधियों के आबंटनों को समान रूप से वितरित किया जाए।

4.1 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के लिए आवासों की मांग स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। पीएमएवाई–यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आकलित मांग और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से परियोजना प्रस्ताव तैयार किए। योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की मांग कम थी क्योंकि स्वीकृत परियोजनाओं में केवल पहली किस्त जारी की गई थी। हालांकि, बाद की अवधि के दौरान, नई परियोजनाओं की मंजूरी के साथ योजना के तहत निधि की आवश्यकता काफी बढ़ गई क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए निधि के साथ-साथ पिछली परियोजनाओं के लिए शेष किस्त का दावा करना शुरू कर दिया। पिछले दो वर्षों में, सभी स्तरों पर निरंतर उपाय और प्रयास किए गए हैं ताकि कोविड़-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद आवासों का निर्माण समय पर शुरू और पूरा किया जा सके। मार्च 2019 तक, मिशन के तहत लगभग 60.79 लाख आवासों को मंजूरी दी गई थी; इनमें से अधिकांश आवास अब पूरे होने के करीब हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, 41.52 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए। देश भर में निर्माण की तीव्र गति के साथ, मिशन ने 1 करोड़ से अधिक आवासों की ग्राउंडिंग पूरी कर ली है जो अपने आप में एक उपलब्धि है। तदनुसार, मिशन ने योजना के बाद के वर्षों के दौरान बढ़ी हुई मांग का अनुमान लगाया लेकिन पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में मानक वृद्धि के साथ बजटीय आवंटन प्राप्त करना जारी रखा। हालांकि, वित्त वर्ष 2017-18 में, चार साल की अवधि में अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के रूप में ₹ 60,000.00 करोड़ जुटाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की गई थी।

इसलिए, संचित योजना के लिए निधि के आवंटन में कमी और योजना अवधि अर्थात 31.03.2022 तक स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर, जारी करने के लिए शेष प्रतिबद्ध देयता ₹ 85,406.00 करोड़ है। वित्त वर्ष 2022-23 में, योजना के लिए बीई स्तर पर ₹28,000.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत प्राप्त प्रगति के आधार पर आरई चरण के साथ-साथ पूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रक्षेपण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनराशि के कुल आबंटन और केंद्रीय सहायता के लिए शेष देयता के आधार पर किया जाएगा।

मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरा करने और योजना की प्रगति की लगातार निगरानी करने के लिए योजना की शुरुआत के बाद से भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहमत करवाया ताकि समय पर धनराशि जारी की जा सके और योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है और योजना के सफल समापन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"

4.2 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.7 देखें।

सिफारिश (क्रम सं.4)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति</u>

4.3 समिति नोट करती है कि 2015 में शुरू की गई इस योजना के अधीन, 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ, 1.15 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई थी, लगभग 94 लाख घरों का निर्माण शुरू किया गया है और लगभग 55 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के प्रारंभ होने के बाद से सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, लक्षित घरों में से केवल 50% (लगभग) का निर्माण पूरा किया गया है। समिति ने आगे यह भी नोट किया है कि भले ही

सभी स्वीकृत घरों के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2022 के बाद किसी भी नए आवास को मंजूरी नहीं दी जाएगी या नए डीपीआर पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति को राज्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह भी जानकारी दी गयी कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिग्रहित नहीं की गई है। इसके अलावा, समिति ने यह भी नोट किया है कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित कई घर रहने योग्य स्थिति में नहीं हैं, जिनमें खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए हैं। समिति का विचार है कि आवासों की ऐसी स्थिति पूर्ण हो चुके मकानों को लक्षित लाभाथयों को सौंपने में विलंब के कारण भी हो सकती है। समिति सचिव, एमओएचयूए के इस कथन से सहमत होते हुए कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता' मंत्रालय की जिम्मेदारी है, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि राज्य/केंद्र

शासित प्रदेश, भूमि का अधिग्रहण करें और विभिन्न तकनीकी और संभारतंत्रीय कठिनाइयों को दूर करें और 31 मार्च, 2022 से पहले पोर्टल पर आवश्यक प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करें;

(दो) मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीयता और उनमें निवास करने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के

अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाता है और पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित सभी घरों में लिफ्ट का प्रावधान सुनिश्चित करें।

(तीन) समयबद्ध तरीके से लाभाथयों को पूर्ण किए गए आवासों को सौंपना सुनिश्चित करना।

4.4 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" पीएमएवाई–यू एक मांग आधारित योजना है। शहरी क्षेत्रों में आवास आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परियोजना प्रस्ताव तैयार किए और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के साथ, इन प्रस्तावों को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) को स्वीकार्य केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। आवासों के निर्माण के लिए लाभार्थियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किश्तों में राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय सहायता हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सामान्यत: 12-36 महीने की अवधि होती है। 31.03.2022 तक, 122.69 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 21.59 लाख आवासों को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, कोविड़-19 महामारी के कारण, राज्य के साथ-साथ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा, जिससे योजना की प्रगति प्रभावित हुई और इसलिए, हितधारकों के वित्तीय बोझ को कम करने और योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने 31.03.2022 तक स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने और परियोजनाओं में प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए दो साल के समय विस्तार की मांग की है।

इस योजना के तहत अब तक 100 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 60.15 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। समिति की सिफारिशों के संबंध में टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

च. पीएमएवाई–यू के तहत, 122.69 लाख स्वीकृत आवासों में से, 73.76 लाख आवासों को लाभार्थी उन्मुख निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत स्वीकृत किया गया है, जहां लाभार्थी अपनी जमीन पर आवास बनाते हैं। इसके अलावा, 23.97 लाख आवासों और 4.33 लाख आवासों को क्रमशः ऋण संबद्ध सहायता योजना (सीएलएसएस) और स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटकों के तहत स्वीकृत किया गया है जहां भूमि की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। चूंकि शहरी क्षेत्रों में भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, कुछ राज्यों को साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत कुछ परियोजनाओं के लिए भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में मुश्किल हो रही है, जिसके तहत 20.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही परामर्श दिया जा चुका है कि वे किफायती आवास के लिए भूमि निर्धारित करने या एएचपी के तहत स्वीकृत ऐसी

परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए अपने मास्टर प्लान को तैयार/संशोधित करें। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वे पात्र लाभार्थियों को खुले बाजार से खरीदकर या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा आदि जैसे कुछ राज्यों द्वारा लागू उपाय के अंतर्गत भूमि पट्टा प्रदान करके भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करें।

छ. योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) को कार्य सौंपा है जो परियोजना स्थलों का दौरा करती है और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर उन्हें सलाह/रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसियां मानक गुणवत्ता वाले आवासों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करती हैं। टीपीक्यूएमए की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को भी अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य के एसएलएसएमसी के समक्ष रखा गया है। योजना के तहत निर्मित आवास राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) या स्थानीय उपनियमों में दिए गए मानकों के अनुसार हैं।

ज. सभी स्वीकृत आवासों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और उन्हें समय सीमा के अनुसार आवासों के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़ी समय सीमा के अनुसार आवासों का निर्माण और पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है:

i. 30.06.2021 तक स्वीकृत आवास - 30.06.2022 तक निर्माण कार्य का आरंभ

ii. 30.06.2021 के बाद स्वीकृत आवास - 31.12.2022 तक निर्माण कार्य का आरंभ

झ. चूंकि पीएमएवाई-यू की प्रगति की निगरानी एक सशक्त एमआईएस प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी लंबित एमआईएस मुद्दों को तुरंत हल करने का अनुरोध किया गया है।

ञ. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके बकाया मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न मंचों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रगति की आवधिक समीक्षा की जा रही है। उन्हें सभी पूर्ण आवासों को चिन्हित लाभार्थी को तत्काल आवंटित करने के लिए भी सहमत कर लिया गया है।

इसके अलावा, इस संबंध में टिप्पणियों के संदर्भ में कि निर्मित कई आवासों की खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, यह सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की पूर्ववर्ती योजना के तहत निर्मित 96,511 आवास लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं और उनमें से कुछ की हालत खराब है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मरम्मत/रिट्रोफिटिंग द्वारा रहने योग्य बनाएं और पात्र लाभार्थियों को आवंटित करें या शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के उद्देश्यों के लिए उन्हें किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) में परिवर्तित करें।"

4.5 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.13 देखें।

सिफारिश (क्रम सं.10)

<u>एसबीएम के लिए क्षमता निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता/भागीदारी सहायतानुदान सामान्य</u>

4.6 समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियां राज्यों को एसबीएम-यू के संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (सीबी एंड ए एंड ओई) के लिए गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए जारी की जाती है ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंनिधि मूल्य श्रृंखला में प्रमुख हितधारक और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में विभिन्न स्तरों पर प्रमुख पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक वयय को पूरा करने की दिशा में है।

समिति आगे यह भी नोट करती हैं कि केंद्रीय शेयर सहायता जारी करना योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सभी तरह से पूर्ण औपचारिक मांग की प्राप्ति के अधीन है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत की गई कोई भी रिलीज केवल मंत्रालय द्वारा विधिवत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के अधीन है और कोविड -19 महामारी के कारण, राज्यों से पर्याप्त मांग प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2018-19 को छोड़कर, 2017-18 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, अवास्तविक बजट अनुमानों को संसाधनों के अविवेकपूर्ण आवंटन का संकेत देते हुए रखा गया है और यह कि कोविड-19 जो एक हालिया घटना है, को एकमात्र निवारक के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के दौरान भी, जिसके अंतर्गत बीई स्तर पर इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित 150 करोड़ को सं.अ. चरण पर घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया था, केवल 8.93 करोड़ ही जारी किए जा सका।

समिति ने गत वर्षों के वास्तविक बजट की तुलना में अविवेकपूर्ण बजटीय आवंटन पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक सं.अ. चरण पर निर्धारित निधि के पूरे उपयोग के लिए मंत्रालय की सराहना करती है। हालांकि, समिति को आशंका है कि चालू वित्त वर्ष (31.12.21 तक) में सं.अ. चरण के आवंटन के मात्र 9% उपयोग के परिणामस्वरूप सं.अ. चरण पर आवंटन की पर्याप्त राशि का अभ्यर्पण हो सकता है। इसलिए, समिति तीसरे तिमाही तक, इस तरह के कम उपयोग के कारणों और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में निधि के अभ्यर्पण से बचने के लिए उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती हैं।

4.7 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" क्षमता निर्माण (सीबी) निधियों का कम उपयोग मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निधि मांग प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बिना केंद्रीय शेयर (सीएस) निधि जारी नहीं की जा सकती थी जिसके परिणामस्वरूप आरई चरण में आवंटित पर्याप्त राशि को लौटाया गया।"

4.8 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.16 देखें।

सिफारिश (क्रम सं.11)

<u>एसबीएम के लिए आईईसी- विज्ञापन और प्रचार</u>

4.9 समिति नोट करती है कि यह शीर्ष मिशन के विज्ञापन और प्रचार के लिए है। विज्ञापन और जन प्रचार अभियान प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया (डीएवीपी के माध्यम से) और सोशल मीडिया (अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से) में चलाए जाते हैं। मिशन ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से एक साल का प्रचार अभियान 'स्वच्छता सेल्फी' भी चलाया था इसके अलावा, प्रचार के लिए एनएफडीसी के माध्यम से ऑडियो-वीडियो क्लिप भी तैयार की जाती हैं। समिति मानती है कि स्वच्छ भारत मिशन को न केवल शौचालय निर्माण जैसे उत्पादन आऊटपुट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था, बल्कि "खुले में शौच मुक्त" सहित व्यवहारिक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत अपेक्षित बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार एक महत्वपूर्ण कारक है।

तथापि, समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 तक के आवंटन और व्यय की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सं.अ. चरण में भी किए गए आवंटन से 'वास्तविक बहुत कम हो गया और निधियों के काफी कम उपयोग के बावजूद, पिछले वर्षों की उच्च और अवास्तविक राशि का आवंटन बाद के वर्षों के बजट अनुमान में किया गया था, जिसमें निधि के व्यय या उपयोग पर कोई जोर नहीं दिया गया था। समिति का यह मत है कि केवल शहरों को ओडीएफ या ओडीएफ+ घोषित करना ही काफी नहीं है। बल्कि वर्षों से उस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और मंत्रालय द्वारा गार्ड को किसी भी तरह से कम करने से देश को मिशन-पूर्व अवधि में वापस धकेल दिया जा सकता है, जिसके लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति सुझाव देती है कि वास्तविक बजटीय आवंटन किया जाए और आवंटित संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

4.10 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" सूचना शिक्षा संचार और जन जागरूकता (आईईसी एंड पीए) निधियों का कम उपयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से निधि मांग प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण है, जिसके बिना केंद्रीय शेयर (सीएस) निधि जारी नहीं की जा सकती थी जिसके परिणामस्वरूप आरई चरण में आवंटित पर्याप्त राशि को लौटाया गया।"

4.11 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.19 देखें।

सिफारिश (क्रम सं.15)

<u>तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी</u>

4.12 समिति ने निम्नवत सिफ़ारिश की**:-**

" समिति नोट करती है कि एमओएचयूए के अंतर्गत लगभग सभी योजनाओं में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण और निगरानी एक घटक है। इस संदर्भ में, समिति यह नोट करके चिंतित है कि यूसी और तीसरे पक्ष की निगरानी जैसे जवाबदेही तंत्र के बावजूद, निर्मित की गई संपत्ति की गुणवत्ता संतोषजनक से भी कम है। समिति का मत है कि निरीक्षण करने के लिए चयनित तृतीय पक्ष एजेंसी गंभीर नहीं है और लाभार्थियों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। समिति आगे यह भी नोट करती है कि निरीक्षण का कोई विवरण जैसे निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम, ऐसे निरीक्षण का समय आदि उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया जाता है जिससे वे अपनी चिंताओं को उजागर करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को परियोजना निर्माण के चरण से कार्यान्वयन तक शामिल किया जा सकता है और उन्हें तीसरे पक्ष के निरीक्षण के विवरण के बारे में भी सूचित किया जा सकता है जैसे कि निरीक्षण एजेंसी का विवरण और समय पर निरीक्षण का समय ताकि उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। "

4.13 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

" नीति आयोग ने वर्ष 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रगति संतोषजनक पाई गई है। डीएवाई-एनयूएलएम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी) के योजना संबंधी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि मिशन के विभिन्न घटकों के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) को शामिल करेंगे। तीसरे पक्ष की एजेंसी परियोजना स्थल का दौरा करेंगी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर सलाह देंगी। ऐसी एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट और अपने स्वयं के तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यों और यूएलबी को मिशन के तहत मानक गुणवत्ता वाले आवासों और बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करे। मंत्रालय ने 75:25 के आधार पर लागत साझा करके तृतीय पक्ष समानता निगरानी तंत्र को लागू करने के लिए और 90:10 के आधार पर एन ई और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में केंद्रीय सहायता प्रदान की। तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों की टिपण्णीयों पर कार्रवाई की गई रिपोर्ट (एटीआर) को राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से पहले अनुमोदन के लिए संबंधित राज्यों की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रखा गया है। योजना दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी करते हैं कि मांग सर्वेक्षण के परिणाम, कार्रवाई की सभी योजनाओं के लिए आवासन और वार्षिक कार्यान्वयन योजना पर स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए जिसमें उस क्षेत्र के विधायक और सांसद शामिल हैं और योजनाओं की लाभार्थी सूची को अंतिम रूप देने के दौरान उनके विचार पर्याप्त रूप से लिए गए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार स्वीकृत आवासों, निष्पादन/अधिग्रहण चरणों, जारी की गई धनराशि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, परियोजनावार निधि स्वीकृति आदेश, परियोजना समय-सीमा, निष्पादन के विभिन्न चरणों का चित्रमय दृश्य, लाभार्थियों का विवरण आदि से

संबंधित सभी जानकारी है। डैशबोर्ड प्रत्येक परियोजना का राज्य, जिला और शहरवार निष्पादन, उसकी वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों का डेटा, निधि की स्थिति, उसका उपयोग आदि प्रदान करेगा। मिशन निदेशालय संसद के सभी सदस्यों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करके डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करेगा। ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले जिलों/शहरों में परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति को भी देख सकें और उसका अवलोकन कर सकें। इस बीच इस तरह के लॉग इन आईडी और पासवर्ड को संसदीय स्थायी समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्यों के साथ साझा किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ परियोजनाओं के बारे में सभी संबंधित जानकारी साझा करें।

अमृत के तहत, अमृत मिशन के कार्यान्वयन के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों नियमित आधार पर प्रत्येक परियोजना का दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ कार्रवाई के सुधारात्मक पाठ्यक्रम को राज्यों के साथ-साथ मंत्रालय को भी प्रस्तुत करते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईएंडवाई) द्वारा किया गया था और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट 15.01.2021 को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने शामिल किया है कि शहरों के मेयरों को 'स्वच्छ वार्ड' प्रतियोगिता के आयोजन और निगरानी में लगाया जाना चाहिए। स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आयोजन स्वच्छ सर्वेक्षण के मूल्यांकन में संकेतकों में से एक है। वर्तमान में, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2023 चल रहा है जिसके लिए मूल्यांकन एजेंसी आईपीएसओएस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

डीएवाई-एनयूएलएम का मध्यावधि मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के माध्यम से वर्ष 2018 में किया गया था और मूल्यांकन ने मिशन को प्रासंगिक, इक्विटी उन्मुख, प्रभावी और प्रभावशाली पाया।"

4.14 टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.22 देखें।

*****

अध्याय-पाँच

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

"**शून्य** "

जगदम्बिका पाल
सभापति
आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

नई दिल्ली
अगस्त, 2022
श्रावण, 1944 (शक)

परिशिष्ट-एक

कार्यवाही सारांश बाद में संलग्न किया जाएगा

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

अनुदानों की मांगों (2022-23) पर बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	16
(दो)	सिफारिशेटिप्पणियां/, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है सिफारिश सं. 2,3,5,6,7,8,9,12,13,14, और 16	11
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	(68.75%)
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती सिफारिश सं. शून्य	शून्य
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	(0%)
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं सिफारिश सं. 1,4,10,11, और 15	05
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	(31.25%)
(पाँच)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं सिफारिश सं. शून्य	शून्य
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	(0%)